संख्या:2/2021/16 बीपी/35-1-2021

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 27 जनवरी,2021

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशुधन विभाग की परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जानेके सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेशसंख्या: 30/2018/107 बीपी /35-1-2018, दिनांक 19 नवम्बर,2018 द्वारा पशुधन विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित 03 परियोजनाओं की रू. 120.00 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 53.44 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गई तथा सम्पूर्ण धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेशसंख्या:72 बीपी/35-1-2019, दिनांक 25 जून,2019 द्वारा पशुधन विभाग की प्रश्नगत परियोजनाओं हेतुरू. 44.18 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 21.24 करोड़ की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 तक प्रश्नगत परियोजनाओं पर कुल मिलाकर रू. 21.24 करोड़ का व्यय हुआ है। एतद्द्वारा परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु पूर्व में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय मांग के अनुरूप रू. 17.92 करोड़ (रूपये सत्रह करोड़ बान्बे लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. करोड़ में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	माह मार्च, 2020 तक व्यय धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना	70.00	8.83	14.16
2	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित 120 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का विस्तारीकरण एवं 52 नवीन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना एवं क्रियाशील किये जाने की योजना	25.00	10.91	3.13
3	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए महिलाओं की जागरूकता और क्षमता निर्माण	25.00	1.50	0.63
	योग	**120.00**	**21.24**	**17.92**

1. सन्दर्भित शासनादेशदिनांक 19 नवम्बर, 2018 तथा 25 जून, 2019 की अन्यशर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से किया जायेगा और धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगाऔर यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च 2021से पूर्व समर्पित किया जायेगा।
4. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून, 2021तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व पशुधन विभाग का होगा। तद्नुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष 2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-18- पशुधन विभाग की परियोजनायें(के.100/रा.0-के.)–42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या-ई-5-1023/दस-2020 दिनांक 10 अगस्त,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

संख्या:-2/2021/16बी(1)/35-1-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7. जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
8. मुख्य विकास अधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9. कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट/ललितपुर।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in